उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-24/2018/840/तीस-1-2018-5(3)/2018
लखनऊ, दिनांक- 10, जुलाई, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

जनपद-भदोही (सन्त रविदास नगर) में बस स्टेशन औराई का पुनर्निर्माण कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-23/2018/840/तीस-1-2018-5(3)/2018, दिनांक 09-07-2018 निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर- (12) की पांचवीं पंक्ति में नामित कार्यदायी संस्था यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (पूर्व नाम उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०) के स्थान पर त्रुटिवश कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०(यू०आर०एन०एस०एस०) लखनऊ अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 09-07-2018 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर- (12) की पांचवीं पंक्ति में अंकित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०(यू०आर०एन०एस०एस०) लखनऊ के स्थान पर नामित कार्यदायी संस्था यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (पूर्व नाम उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०) पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 09-07-2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्याः 24/2018/840/तीस-1-2018 तददिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4.प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० ।
6.वित्त नियन्त्रक,परिवहन आयुक्त,कार्यालय लखनऊ।
7.वित्त नियन्त्रक,उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8.वित्त नियन्त्रक, यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०।
9.नियोजन अनुभाग-4 ।
10.वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11.निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
12.गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in